

महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित मामले

Sl. No	Report No.	Office	Paras requiring Compliance		Paras Pending for Compliance		Remarks
			No	Paras	No.	Paras	
1	111/2010-11	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सचिवालय ग्रंथागार)	1.	भाग-II (टिप्पणी-1) "ग्रंथागार के पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं होने के फलस्वरूप उसके लेखाओं के संधारण में अनियमितता पाया जाना।"	1.	भाग-II (टिप्पणी-1) "ग्रंथागार के पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं होने के फलस्वरूप उसके लेखाओं के संधारण में अनियमितता पाया जाना।"	बिहार सचिवालय ग्रंथागार के पुस्तकों का अनियमित ढंग से रख रखाव से संबंधित है। विभागीय पीत पत्र सं०-129, दिनांक-07.05.2012 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध स्थापना शाखा से किया गया है। तदनुसार स्थापना के प्रशाखा पदा० के पीत पत्र सं०-146, दिनांक-21.05.12 के द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है कि संबंधित संचिका सं०- वि०स०ग्र०-09/2010 दि०-28.05.11 को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संयुक्त सचिव को उपस्थापित है।
2	111/2010-11	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (मंत्रिपरिषद् लेखा)	1.	भाग-II (खण्ड 'ख', कंडिका-1) "रोकड़ बही अद्यतन नहीं पाया जाना"	1.	भाग-II (खण्ड 'ख', कंडिका-1) "रोकड़ बही अद्यतन नहीं पाया जाना"	मंत्रिपरिषद् लेखा के रोकड़बही का ठीक ढंग से संधारण नहीं किये जाने से संबंधित है। विभागीय पीत पत्र सं०-149, दिनांक-23.05.12 तथा पीत पत्र सं०-243, दि०-22.08.12 के द्वारा अवर सचिव (मंत्रिपरिषद् शाखा) से अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3	111 / 2010-11	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (कार्यक्रम कार्यान्वयन)	1. भाग-II (टिप्पणी-2) आपत्ति संख्या-8 "रूपये 2.35 करोड़ का अनियमितता प्रत्यर्पण"	1. भाग-II (टिप्पणी-2) आपत्ति संख्या-8 "रूपये 2.35 करोड़ का अनियमितता प्रत्यर्पण"	<p>इस संबंध में स्पष्ट करना है क प्रत्यर्पण राशि वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 का है जो गैरयोजना एवं योजना से संबंधित है।</p> <p>योजना के संबंध में स्पष्ट करना है कि यह व्यय स्थापना व्यय है। जिसमें श्री राधा मोहन सिंह, उपाध्यक्ष एवं श्री अजीजुल हक, उपाध्यक्ष एवं उसके निजी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समय के पूर्व भंग कर दिया गया है फलतः राशि प्रत्यर्पित हुयी।</p> <p>चूँकि यह प्रत्यर्पण 3 वर्षों का जोड़ है जिसमें योजना एवं गैर योजना का भी एक साथ सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए राशि अधिक प्रतीत होती है।</p> <p>वास्तव में मदवार राशि का प्रत्यर्पण कम हुआ है।</p> <p>विभागीय पत्रांक-746, दिनांक-25.05.2010 के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया था; किंतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त आपत्ति को यथावत रखी गयी है।</p> <p>तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई संचिका सं०-मं०मं० -01 / लेखा-205 / 2010 में की जा रही है।</p>
4	703 / 2009-10	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (बिहार राज्य अभिलेखागार)	1. भाग-II(खंड 'क', कंडिका-1) 2. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-2) 3. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-3) 4. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-4) 5. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-5) 6. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-6) 7. भाग-III टिप्पणी-1 8. भाग-III टिप्पणी-2 9. भाग-III टिप्पणी-3 10. भाग-III टिप्पणी-4 11. भाग-III टिप्पणी-5	1. भाग-II(खंड 'क', कंडिका-1) 2. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-2) 3. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-3) 4. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-4) 5. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-5) 6. भाग-II(खंड 'ख', कंडिका-6) 7. भाग-III टिप्पणी-1 8. भाग-III टिप्पणी-2 9. भाग-III टिप्पणी-3 10. भाग-III टिप्पणी-4 11. भाग-III टिप्पणी-5	महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-983, दिनांक-26.03.2012 के आलोक में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन करने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-439, दिनांक-03.04.2012 के द्वारा बिहार राज्य अभिलेखागार से किया गया है।